न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 45/2023

अपीलांट–

1.मांगी देवी पुत्री पुनमाराम पत्नी देदाराम जाति जाट, निवासी शक्ति नगर, टाकू बेरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1 श्रीमान तहसीलदार, सिणधरी
2 मुली देवी पत्नी पुनमाराम
3 नाथाराम पुत्र मेघाराम
4 पारू देवी पत्नी लाधाराम
5 हरखाराम पुत्र लाधाराम
6 हिमथाराम पुत्र लाधाराम
7 मिरगों पत्नी भैराराम
8 बाबूलाल पुत्र भैराराम
9 सताराम पुत्र भैराराम जातियान जाट, निवासीयान शक्ति नगर, टाकूबेरी, तहसील सिणधरी, जिला बालोतरा।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 157 जो दिनांक 05.10.1993 को तहसीलदार गुड़ामालानी (वर्तमान तहसीलदार सिणधरी) द्वारा स्वीकृत किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री पुनमाराम गोदारा, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री भवरलाल सारण, अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 02 ता 09 की ओर से अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 30.04.2024

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत सरहद मौजा शक्ति नगर (टाकुबेरी) नामान्तरकरण संख्या 157 पर तहसीलदार गुड़ामालानी (वर्तमान तहसीलदार सिणधरी) द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 05.10.1993 के विरूद्ध दिनांक 29.11.2022 को न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर में एवं दिनांक 01.11.2023 इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई हैं।

2. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि खेत खसरा नंबर 188 रकबा 0.02 बीघा व खसरा नंबर 189 रकबा 122.09 भूमि सरहद मौजा शक्ति नगर (टाकुबेरी) का दिनांक 01.10.1993 को हल्का पटवारी

जिला कलक्टर
बालोतरा

कमठाई द्वारा खातेदार पूनमा फौत होने पर नामान्तरणकरण खोला गया व तहसीलदार गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील सिणधरी) द्वारा दिनांक 05.10.1993 को स्वीकृत कर किया गया। तहसीलदार गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील सिणधरी) द्वारा स्वीकृति आदेश 05.10.1993 के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। इस अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया हैं।

3. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया।

4. अपीलांट के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह कथन किया कि अपीलांट रेस्पोडेंट संख्या 02 एवं खातेदार स्व. पुनाराम की पुत्री है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 आपस में पुत्री व माता है। अपीलांट अपने माता–पिता की इकलौती पुत्र है एवं अन्य कोई भाई बहिन नहीं है। अपीलांट के पिता के स्वर्गवास होने के बाद कभी अपने माता के पास एवं कभी अपने ससुराल में रहती है। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 02 से 06 के नाम राजस्व ग्राम वर्तमान में शक्ति नगर (टाकूबेरी) में खेत खसरा नंबर 188 रकबा 0.02 बीघा व खसरा नंबर 189 रकबा 122.09 भूमि आई हुई है, जिसमें 1/3 हिस्सा अपीलांट के पिता पुनमाराम का, 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 3 का एवं 1/3 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 04 ता 06 का है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास हो जाने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार अपीलांट का अपने पिता की जमीन में आधा हिस्सा था, परन्तु रेस्पोडेंट संख्या 3 से 6 ने मिलावट कर रेस्पोडेंट संख्या 2 के अकेले के नाम से म्यूटेशन पारित करवा दिया गया। जबकि हिन्दू उतराधिकार के अनुसार उक्त नामान्तकरण संख्या 157 में रेस्पोडेंट संख्या 02 के साथ अपीलांट का भी नाम दर्ज करते हुए अपीलांट के पिता का कुल 1/3 हिस्से का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेंट संख्या 2 का एवं 1/2 हिस्सा अपीलांट का होना चाहिए था, लेकिन 1/3 संपूर्ण हिस्सा केवल रेस्पोडेंट संख्या 2 के नाम म्युटेशन भरा गया। इस प्रकार उक्त म्युटेशन को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट के पिता के फौत होने पर उक्त म्युटेशन संख्या 157 दिनांक 05.10.1993 को भरा गया। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को नहीं थी। अपीलांट यही समझती रही कि अपने पिता के 1/3 हिस्से में अपनी माता रेस्पोडेंट संख्या 2 के साथ संयुक्त रूप से अपीलांट का भी नाम दर्ज हो गया है। दिनांक 20.10.2022 को रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 07 से 09 के नाम रजिस्टर्ड खेत का बैचान, पंजीयन कमांक 202203081101902 करवाये जाने पर इस बात की जानकारी अपीलांट को दिनांक 25.10.2022 को हुई। हल्का पटवारी के पास जाकर अपीलांट की खातेदारी के बारे में पुछने पर

जिला कलक्टर
बालोतरा

हल्का पटवारी ने बताया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में नहीं है व रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा बैचान कर दिया गया है, जिस पर दिनांक 28.10.2022 को नकल मिली। रेस्पोडेंट संख्या 2 के द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 7 से 9 को बैचान दिनांक 20.10.2022 को करवाये जाने पर दिनांक 21.10.2022 को नामान्तकरण संख्या 38 भरना बताया गया है, परन्तु वास्तविक रूप से यह नामान्तकरण बाद में स्वीकृत किया गया था। राजस्व निरीक्षक की टिप्पणी में दिनांक 27.10.2022 लिखा गया है, जिसे बाद में काट कर 21.10.2022 किया गया। जिससे भी उक्त नामान्तरकरण अपील स्वीकार योग्य है।

6. हमने अपीलांट के अधिवक्ता की बहस सुनी, उपरांत बहस पत्रावली का अवलोकन किया व मनन किया तथा अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रकट तथ्यो एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिसमें पाया कि वर्तमान प्रकरण में विवादित म्युटेशन संख्या 157 जो खेत खसरा नंबर 188 रकबा 0.02 बीघा व खसरा नंबर 189 रकबा 122.09 भूमि सरहद मौजा शक्ति नगर (टाकुबेरी) का खातेदार पुनमाराम के फोत होने पर पुनमाराम की पत्नी मूली देवी का नाम दर्ज कर दिनांक 01.10.1993 को हल्का पटवारी कमठाई द्वारा नामान्तरणकरण खोलना बताया, जिसे अधीनस्थ तहसीलदार गुड़ामालानी (वर्तमान तहसील सिणधरी) द्वारा दिनांक 05.10.1993 को स्वीकृत करना बताया है। चूंकि नामान्तरकरण को फैसल हुए लगभग 30 वर्ष का समय हो चुका है। साथ ही नामान्तरकरण राजकोषीय (फीसकल) प्रक्रिया मात्र है। अतः उक्त अपील अत्यधिक विलम्ब होने एवं घोषणा के दावे की श्रेणी के मामलों की कोई मियाद नही होने के कारण न्यायोचित होगा कि उक्त मामले में सक्षम न्यायालय में घोषणा का वाद दर्ज करवाकर, अपीलांट अपने हिस्से बाबत् घोषणा करवाये। अतः अपीलांट सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा दर्ज करवाने हेतु स्वतंत्र है।

7. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील खारीज की जाती है।

8. निर्णय आज दिनांक 30.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा

जिला कलक्टर
बालोतरा